

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 208]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 मई 2014—ज्येष्ठ 2, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 मई 2014

क्र. बी-7(ए)-102-2010-2-पांच-(19).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश आबकारी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा भर्ती नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) अनुसूची-एक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“अनुसूची-एक

(नियम-5 देखिए)

वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु- क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)
1	सिस्टम एनालिस्ट-कम-डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर	01	मध्यप्रदेश, आबकारी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा श्रेणी-दो	15600—39100+ग्रेड वेतन 5400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	सिस्टम मैनेजर	01	मध्यप्रदेश, आबकारी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा श्रेणी-दो	15600—39100+ग्रेड वेतन 5400
3	नेटवर्क मैनेजर	01	— तदैव —	15600—39100+ग्रेड वेतन 5400
4	सहायक प्रोग्रामर	03	मध्यप्रदेश, आबकारी, सूचना प्रौद्योगिकी सेवा श्रेणी-तीन	9300—34800+ग्रेड वेतन 3600
5	आई.टी. ऑपरेटर	102	मध्यप्रदेश, आबकारी, सूचना प्रौद्योगिकी सेवा श्रेणी-तीन	5200—20200+ग्रेड वेतन 1900."

(2) अनुसूची-दो में, अनुक्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“अनुसूची-दो

(नियम 6 देखिए)

भर्ती का तरीका

अनुक्रमांक	सेवा का नाम	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	सीधी भर्ती हेतु समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“5.	मध्यप्रदेश, आबकारी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा श्रेणी-तीन	आई.टी. ऑपरेटर	102	100 प्रतिशत	मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा या चयन के लिए कोई अन्य प्रक्रिया.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2014

क्र. बी-7-(ए)-102-2010-2-पांच-(19).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-7-(ए)-102-2010-2-पांच-(19).—, दिनांक 23 मई 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd May, 2014

No. B-7(A)-102-2010-2-V (19).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Excise Information Technology Service Recruitment Rules, 2011, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

- (1) For Schedule-I, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE-I

(See rule-5)

Classification, Pay Scale and Number of posts included in the Service.

S. No.	Name of Posts included in the service	No. of Posts	Classification	Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	System Analyst-cum-Data Base Administrator	01	Madhya Pradesh Excise Information Technology Service Class-II	15600—39100+Grade Pay 5400
2	System Manager	01	—do—	15600—39100+Grade Pay 5400
3	Network Manager	01	—do—	15600—39100+Grade Pay 5400
4	Assistant Programmer	03	Madhya Pradesh Excise Information Technology Service Class-III	9300—34800+Grade Pay 3600
5	I. T. Operator	102	Madhya Pradesh Excise Information Technology Service Class-III	5200—20200+Grade Pay 1900.”.

- (2) In Schedule-II, for serial number 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE-II

(See rule-6)

Method of Recruitment

S. No.	Name of the Service	Name of post included in the service	No. of posts	Percentage of post to be filled by direct recruitment	Committee for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“5.	Madhya Pradesh Excise Information Technology Service Class-III	I.T. Operator	102	100%	By Madhya Pradesh Vyavasayik Pariksha Mandal or any other procedure for selection.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.